



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP0051646701640TV

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP0051646701640TV
Certificate Issued Date	29-Aug-2023 12:55 PM
Account Reference	NEWMPACD (SVY) 4482604 GORAKH PURI SADARI UP-DPR
Unique Doc. Reference	SUBSN-UPUPH-44826040661088C77344V
Purchased by	BINDU SINGH W/O ASHOK KUMAR SINGH
Description of Document	Article 4 Affidavit
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	
First Party	BINDU SINGH W/O ASHOK KUMAR SINGH
Second Party	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	BINDU SINGH W/O ASHOK KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)



ACC Name: Ghyanchandra Verma
 ACC Code: 14412004
 ACC No: 14412004/2023/0001
 Branch: 14412004/2023/0001
 District: Ghazipur

Affidavit



Proforma of Affidavit is attached.

~~2023~~
 29.8.2023
 NITYA NAND SINGH
 NOTARY
 Ghazipur

~~Signature~~
 Signature

1. The validity of the Stamp certificate should be verified by the purchaser prior to using a Stamp. Misuse may result in the cancellation of the Certificate and its inclusion in the watch list under a court order.
 2. The issue of issuing the certificate is at the sole discretion of the issuer.
 3. Amount of any necessary goods shall be deposited with the Competent Authority.

(ग्राम: "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की
सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी
शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सिन्दू सिंह एवं अभिनव कुमार सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पता) मिर्जादिया एजुकेशनल ट्रस्ट
महानगर-664वीं राय कोलोनी मोहादीपुर पोस्ट कुडाघाट तहसील सादर जिला गोरखपुर - शपथपूर्वक विनम्रतु बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी मिर्जादिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा मिर्जादिया फार्मसी कॉलेज बेला, पिपराइच, गोरखपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के ग्राम बेला में भूमि स्थित है/मे गाटा संख्या 71 एवं 1.012 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.1012 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 71 एवं 1.012 (कुल रकबा 1.1012 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 30-06-2023 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ज़रूरी संचालन किया जाएगा।

- सिन्दू सिंह

Abhinav

Handwritten Signature
6.8.2023
NOTARY
NOTARY

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय स्वीकार होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

NOTARY
 TYA NAND SINGH
 Q. Tehsil Sadie, Gorakhpur
 29/8/2023